अति–आवश्यक
स्मरण पत्र–तृतीय

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/ 8993-63 जयपुर दिनांक : 21-5-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः–आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान की तुलनान्तमक समीक्षा बाबत।
प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 166376–679 दिनांक 30.10.2017, 197164–196 दिनांक 19.12.2017, 7657–89 दिनांक 09.01.2018 एवं 18416–444 दिनांक 30.01.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। **यह प्रोत्साहन योजना तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) के लिए ही लागू की गई है।** प्रोत्साहन योजना तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) तक का आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि का विभागीय पत्र क्रमांक 166376–679 दिनांक 30.10.2017 में दिये गये निम्नानुसार बिन्दुओं एवं शर्तो के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करावें :–

1. **प्रोत्साहन राशि के लिए सर्वे संख्या की गणना अप्रैल, 2017 के वार्षिक आंगनबाड़ी सर्वे के अनुसार की जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा वार्षिक आंगनबाड़ी सर्वे के अनुसार गणना न करके पंजीकृत बच्चों के आधार पर प्रतिशत का आंकलन किया जा रहा है जो कि गलत है।**

   अतः सर्वे संख्या के 90 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक 3–6 वर्ष के बच्चों को ही शाला पूर्व शिक्षा व वृद्धि निगरानी व कुपोषण प्रबन्धन के लिए प्रोत्साहन राशि देय होगी।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए गए दावे के असत्य अथवा गलत पाये जाने पर उसे अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली की जायेगी तथा संबंधित कार्यकर्ता को मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने के कारण मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी। सत्यापन, प्रमाणीकरणकर्ता, पर्यवक्षीणीय अधिकारी/कर्मचारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
3. सीडीपीओ द्वारा निरिक्षण रिपोर्ट अथवा राजधरा अथवा महिला पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित दावों के आधार पर प्रोत्साहन राशि देयता की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची के आधार पर सीडीपीओ द्वारा मासिक प्रोत्साहन राशि भुगतान स्वीकृति नामजद जारी की जायेगी तथा इसकी प्रति संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि (सरपंच/वार्डपंच/ पार्षद) को दी जायेगी।
4. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह अनुरोध भी किया जाये कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के केन्द्र का नियमित निरीक्षण करे तथा उसे अच्छा कार्य प्रदर्शन करने के लिए सम्बलन प्रदान करें। यदि उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कोई कमी ध्यान में आती है, तो उसे संबंधित पर्यवेक्षक एवं सीडीपीओं का अवगत करायें।
5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय के संबंधित बजट मद 100 प्रतिशत आयोजना/राज्य निधि से किया जायेगा। जिसका पृथक से लेखा संधारित किया जावेगा।